कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर

ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन सोमवार, 10 नवम्बर 2025 वर्ष-26 अंक-7 मूल्य-12/- कुल पृष्ठ-12 www.krishakjagat.org पृष्ठ-1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

अंदर पढ़िये...

5

शहद उत्पादन कैसे बढ़ायें..?

6

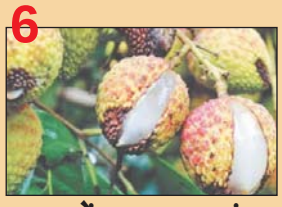

फलों का फटना एवं नियंत्रण

7

आधुनिक दुधारू पशु प्रबंधन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते कदम

प्रदेश में आगामी वर्ष तक 11 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर प्रोजेक्ट होंगे स्थापित

जयपुर। राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए स्वर्णिम अध्याय की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट नवीनीकरण बिजली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में राजस्थान को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में सोलर और विन्ड एनर्जी उत्पादन में बढ़ोतरी को औद्योगिक विकास से सीधा लिंक किया है। कम और प्रतिस्पर्धी कीमत पर बिजली उपलब्धता से उद्योग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री की इसी दूरदृष्टि और ठोस नीति के परिणामस्वरूप आगामी वर्ष तक प्रदेश में 11 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे।

भविष्य की दिशा : हर घर और खेत तक ऊर्जा

राज्य में डिस्कॉम्स द्वारा भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अगले वर्ष तक 11 हजार मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं से किसानों को दिन के समय में बिजली की सुविधा सुनिश्चित होगी और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी।

सौर शक्ति से आत्मनिर्भरता की राह पर राजस्थान

इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल राज्य की बिजली जरूरतें पूरी होंगी बल्कि राजस्थान देश के 'सौर ऊर्जा हब' के रूप में अपनी स्थिति और सशक्त करेगा।

आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत प्रदेश में विद्युत वितरण तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 33 केवी के 63 नए सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 33 केवी स्तर के 317 फीडरों और 11 केवी स्तर के 3744 फीडरों का विभाजन किया जाएगा। 11 केवी के 1300 कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण और 27,963 किलोमीटर लंबी एलटी केबल बिछाने का कार्य भी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त जिन 33/11 केवी सबस्टेशनों पर कुसुम योजना के घटक 'ए' एवं 'सी' के अंतर्गत संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, वहां स्थापित संयंत्र की क्षमता के आधार पर प्राथमिकता से नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक राज्य के सभी जिलों में दिन के समय किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके।

बिजली वितरण का मजबूत तंत्र

राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विद्युत वितरण निगमों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। राजस्थान में तीनों डिस्कॉम्स जयपुर, जोधपुर और अजमेर ने संयुक्त रूप से विद्युत वितरण व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।

अब तक राज्य की सर्वकालिक अधिकतम विद्युत मांग 19,165 मेगावाट दर्ज की गई, जिसे बिना किसी विद्युत कटौती के पूरा किया गया। यह उपलब्धि राजस्थान को ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।

तीनों डिस्कॉम्स में यूनिफाइड ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी और एकीकृत सेवाएं मिल रही हैं।

सरकार के इस कार्यकाल में सितम्बर माह तक 8,76,036 घरेलू विद्युत कनेक्शन और 1 नवम्बर 2025 तक 1,83,570 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसी अवधि में 33 केवी के 327 सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर हुई है।

पीएमबीवाई में अब तक लगभग 96 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित

राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को गति देने के लिए पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत अब तक 2077 मेगावाट की क्षमता की 914 सौर परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। इनसे लगभग 1,35,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह तक 95,727 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 392 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का उत्पादन हो रहा है।

आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक कदम

राजस्थान का ऊर्जा तंत्र अब केवल वितरण तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन, वितरण तंत्र का आधुनिकीकरण और किसानों के हित में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश आने वाले वर्षों में स्वच्छ, सतत और सशक्त ऊर्जा राज्य के रूप में उभरेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

1 रु. क्लेम, क्या मजाक है किसानों के साथ : श्री शिवराज सिंह

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की परेशानियां दूर करने और क्लेम के बारे में उनकी शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक ली। श्री सिंह ने बैठक में महाराष्ट्र के कुछ किसानों को भी वर्चुअल जोड़कर गहराई से सीधे उनकी बात सुनी और अधिकारियों से इसके बारे में जवाब मांगा। श्री शिवराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम किसानों को किसी भी हालत में परेशान नहीं होने देंगे। 1 रु., 3 रु., 5 रु. या 21 रु. का फसल बीमा क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है, सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच के आदेश दिए, साथ ही किसानों के हित में बीमा कंपनियों एवं अफसरों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसानों को क्लेम जल्दी और एक साथ मिलना चाहिए तथा क्षति का आकलन सटीक प्रणाली से होना चाहिए, इसके लिए श्री चौहान ने योजना के प्रावधानों में आवश्यक होने पर बदलाव कर विसंगतियां दूर करने के निर्देश भी अफसरों को दिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान सीहोर जिले के किसानों से मिली शिकायतों को लेकर काफी गंभीर थे, साथ ही महाराष्ट्र के किसानों को नाममात्र की क्लेम राशि मिलने की बातों को लेकर भी चिंतित थे, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सभी बीमा कंपनियों के उच्चाधिकारियों को भी उन्होंने फौरन तलब किया। श्री शिवराज सिंह ने इन सबकी बैठक लेकर कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए उनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में सुरक्षा कवच के रूप में वरदान की तरह है, लेकिन साथ ही कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिससे इस महत्वपूर्ण योजना की बदनामी हुई है और मजाक भी उड़ता है तथा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलता है।

केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर इस बैठक में महाराष्ट्र के कृषि आयुक्त तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी वर्चुअल जोड़ा गया, साथ ही अकोला जिले के शिकायतकर्ता कुछ किसानों को भी ऑनलाइन जोड़कर उनसे पूरी जानकारी ली गई, जिनकी शिकायत थी कि 5 रु., 21 रु. मिले हैं, श्री शिवराज सिंह ने पूरी बारीकी से पूछताछ करते हुए सवाल किया कि हमारे किसानों को इस तरह से इतना कम क्लेम पेमेंट कैसे और क्यों हुआ है। गाइड लाइन में परीक्षण कर आवश्यकतानुसार इसे रिवाइज करें।

नकली बीज, कीटनाशक के खिलाफ आगामी बजट सत्र में आएगा सख्त बिल : केंद्रीय कृषि मंत्री

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि नकली बीज, खाद और कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आगामी बजट सत्र में इस विषय पर एक विशेष विधेयक (Bill) लाया जाएगा, ताकि ऐसे तत्वों पर कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके जो किसानों के हितों से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा किसानों के हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब कोई भी किसान ठगी का शिकार नहीं होगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के बीड जिले में ग्लोबल विकास ट्रस्ट (जीवीटी) कृषि कुल सिरसला में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के साथ संवाद करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, राहत उपायों और आगामी कृषि सुधारों की जानकारी साझा की।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना की राशि की पाई-पाई दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष असमय बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, परंतु सरकार सजग है।

जलवायु अनुकूल बीज और प्राकृतिक खेती पर जोर

श्री चौहान ने कहा कि बदलते मौसम के प्रभाव से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों का विकास किया जा रहा है, जो अधिक बारिश या सूखे दोनों परिस्थितियों में टिके रहें। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और गौ-आधारित खेती अपनाने का आग्रह किया, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और भविष्य की पीढ़ियाँ स्वस्थ पर्यावरण में खेती कर सकें।

एकीकृत खेती से बढ़ेगी आय

श्री चौहान ने किसानों से खेती के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे विकल्प अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटे जोत वाले किसानों के लिए यह आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ये घोषणा किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है। नकली कृषि इनपुट्स पर सख्त कार्रवाई, फसल बीमा की पारदर्शिता, जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में यह प्रयास भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ और किसान-केंद्रित बनाने की ओर एक ठोस कदम है।

रबी के लिए यूरिया का 68 लाख टन बफर स्टॉक

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत सरकार उर्वरक विभाग ने खरीफ 2025 के दौरान देश भर में यूरिया सहित उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स यानी भारतीय रेलवे, बंदरगाहों, राज्य सरकारों और उर्वरक कंपनियों के साथ समय पर योजना और करीबी समन्वय के माध्यम से, सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को बिना किसी कमी के यूरिया की आवश्यक मात्रा मिले। यह इस बात से साफ है कि कृषि विभाग के आकलन के अनुसार 185.39 एलएमटी की आवश्यकता की तुलना में डीओएफ ने 230.53 एलएमटी की उपलब्धता सुनिश्चित की। यह 193.20 एलएमटी की बिक्री से कहीं ज़्यादा थी। यह पूरे भारत में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को दर्शाता है। जाहिर है, किसानों ने खरीफ-2025 में खरीफ 2024 की तुलना में लगभग 4.08 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया है।

घरेलू उत्पादन और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने आयात बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए। अप्रैल और अक्टूबर 2025 के बीच, भारत ने 58.62 लाख मीट्रिक टन एग्रीकल्चर-ग्रेड यूरिया आयात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 24.76 लाख मीट्रिक टन था। आयात में इस बढ़ोतरी से न केवल खरीफ 2025 के दौरान यूरिया की बढ़ी हुई मांग पूरी हुई, बल्कि आने वाले रबी सीज़न के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाने में भी सहायता मिली।

परिणामस्वरूप कुल यूरिया स्टॉक एक अक्टूबर 2025 को 48.64 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 31 अक्टूबर 2025 तक 68.85 लाख मीट्रिक टन हो गया - जो 20.21 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है।

घरेलू यूरिया उत्पादन में भी सुधार हुआ है, अक्टूबर 2025 में उत्पादन 26.88 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 1.05 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। अप्रैल-अक्टूबर के बीच औसत मासिक उत्पादन लगभग 25 लाख मीट्रिक टन रहा। इसके अलावा, नवंबर और दिसंबर के लिए लगभग 17.5 लाख मीट्रिक टन का आयात पहले से ही तय है और ग्लोबल लेवल पर समय पर हस्तक्षेप कर इसे और बढ़ाया जाएगा।

देश में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। असम के नामरूप और ओडिशा के तालचेर में दो यूरिया प्लांट बन रहे हैं, जिनकी सालाना क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन है।

श्री गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केरल कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री संजय गर्ग ने 1 नवंबर, 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। श्री गर्ग को तीन दशकों से अधिक के विविध प्रशासनिक अनुभव के साथ कृषि, खाद्य रसद, रक्षा उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक संवर्धन, वित्त और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक योजना, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता प्राप्त है। श्री गर्ग ने बीआईएस के महानिदेशक का पदभार संभालने से पहले कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) में अतिरिक्त सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में सचिव के रूप में कार्य किया है।

एफएआई के नए चेयरमैन बने श्री शंकरासुब्रमण्यम

नई दिल्ली (कृषक जगत)। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के निदेशक मंडल की 31 अक्टूबर, 2025 को हुई बैठक में कोरोमंडल इंटरनेशनल लि. के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. शंकरासुब्रमण्यम को नया चेयरमैन चुना गया है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लि. के प्रबंध निदेशक डॉ. सिबा प्रसाद मोहंती, जो अब तक दो सह-अध्यक्षों में से एक थे, अब FAI के एकमात्र सह-अध्यक्ष होंगे।

श्री शंकरासुब्रमण्यम इससे पहले FAI के को-चेयरमैन और दक्षिणी क्षेत्र के चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। उर्वरक उद्योग में उनके पास 30 से अधिक वर्षों का विस्तृत अनुभव है, विशेष रूप से फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक क्षेत्र में।

नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री शंकरासुब्रमण्यम ने कहा, 'एफएआई संसाधन दक्षता और संतुलित पोषण के माध्यम से नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम नीति निर्माताओं के साथ मिलकर उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने की दिशा में काम जारी रखेंगे। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि प्राथमिकताओं के अनुरूप उद्योग की प्रगति, लचीलापन और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।' एफएआई ने पूर्व अध्यक्ष श्री शैलेश सी. मेहता के नेतृत्व के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वे आगे भी उद्योग की दिशा में मार्गदर्शन देते रहेंगे।

वर्ष 1955 में स्थापित FAI एक गैर-लाभकारी शीर्ष संस्था है, जो उर्वरक निर्माता, वितरक, आयातक, उपकरण निर्माता, अनुसंधान संस्थान और आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह भारत के उर्वरक एवं कृषि-इनपुट क्षेत्र में नीतिगत चर्चाओं और उद्योग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 14 नवम्बर से गुंटूर में

दो दिवसीय आयोजन, 400 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत के मसाला उद्योग के भविष्य को नई दिशा देने वाला चौथा राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन (National Spice Conference 2025) इस वर्ष 14 और 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित आईटीसी वेलकम होटल में आयोजित किया जाएगा। इस दो दिवसीय आयोजन की मेजबानी वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गनाइजेशन (WSO) करेगी।

इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय- "The Spice Route Ahead: Safe, Sustainable and Scalable" रखा गया है। इस विषय के जरिए खाद्य सुरक्षा, सतत उत्पादन और मसाला क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।

पशुपालन मंत्री ने पाली जिले में नवनिर्मित पशु चिकित्सालय भवन का किया लोकार्पण

जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिंदरू के गांव खिंदारा में पशु चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।

वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में 19 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन की घोषणा की गई थी। श्री कुमावत ने कहा कि पशुपालकों की मांग व जरूरतों को देखते हुए पहले खिंदारा में पशु उप केंद्र स्वीकृत कराया गया, इसके बाद उपचार के लिए आने वाले पशुओं की संख्या में निरंतर बढोतरी को देखते हुए इसे पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर इसके नए भवन निर्माण के लिए राशि भी मंजूर करवाकर कार्य पूरा करवाया गया है।

उन्होंने कहा कि क्रमोन्नत चिकित्सालय में पर्याप्त स्टाफ लगाकर दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर पशुपालकों को राहत देने का कार्य किया है।

सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास

श्री जोराराम कुमावत ने बजट घोषणा वर्ष-2025-26 की अनुपालना में 311.05 लाख रुपए की लागत से एनएच-62 से खिंदारा गांव तक 2.6 किमी. लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। लंबे समय बाद इस सड़क का निर्माण शुरू होने पर ग्रामीण जनों ने श्री कुमावत को धन्यवाद दिया।

कोसेलाव में किया सड़क निर्माण का शिलान्यास

इससे पहले श्री जोराराम कुमावत ने राज्य बजट वर्ष-2025-26 में घोषित अटल प्रगति पथ योजना के अंतर्गत दो करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली 1.35 किमी. लंबी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह सड़क कोसेलाव-हिंगोला मुख्य सड़क से क्षेमंकरी माताजी (खीमज माता) के मंदिर से होते हुए उधान के पीछे तक बनाई जाएगी। इसके तहत सीसी सड़क की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री का निर्णय

6 जिलों के आठ लाख से अधिक किसानों को मिलेगी राहत

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल के नुकसान के संबंध में संवेदनशील निर्णय लिया है। जिसके तहत उन्होंने प्रभावित 6 जिलों के किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है।

निर्णय के अनुसार, प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 6 जिलों की 40 तहसील के 2 हजार 961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के आठ लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी।

रूफ टॉप सोलर पर अब राज्य सरकार से मिलेगी 17 हजार रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी

जयपुर। राजस्थान डिस्कॉम्स ने 150 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत संचालन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से प्रतिमाह 150 यूनिट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए घर की छत उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को पोर्टल के शुभारम्भ के बाद रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए अब तक 1 लाख 66 हजार 355 से अधिक विद्युत उपभोक्ता अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं।

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगवाकर संयंत्र की क्षमता के अनुसार पीएम सूर्यघर योजना में देय केन्द्रीय अनुदान (अधिकतम 78 हजार रूपए) प्राप्त करेंगे। न्यूनतम 1.1 किलोवाट के संयंत्र पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 17 हजार रूपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जो डिस्कॉम द्वारा सत्यापन के पश्चात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

पोर्टल के माध्यम से पंजीयन- योजना में वही घरेलू उपभोक्ता अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, जो पहले से मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं तथा जिनके पास रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए स्वयं की छत उपलब्ध है। ऐसे उपभोक्ताओं को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट https://energy.rajasthan.gov.in, https://vz®unitmuftbijli.bijlimitra.com तथा मोबाइल एप BijliMitra पर सहमति के लिए पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए उन्हें पीएम सूर्यघर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में पुष्कर मेले का समापन

जयपुर। अन्तर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला-2025 का समापन पूरी भव्यता के साथ हुआ। समापन समारोह में केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

श्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ये हमारी संस्कृतिक के प्रतीक है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। सनातन काल से भरने वाला पुष्कर मेला इसका प्रमाण है। मेले इस संस्कृति को अक्षुण रखने में मेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। मेलों से राष्ट्रीयता, अपनत्व एवं भ्रातत्व में वृद्धि होती है। मेले संस्कृति के अविरल प्रवाह को बनाए रखते हैं।

उन्होंने कहा कि पुष्कर के इस धार्मिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटक महोत्सव के दौरान सुंदर आयोजन किए गए। इन आयोजनों में कई प्रतियोगिताएं भी हुई। इन प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को निरन्तर आगे बढ़ने के

प्रेरणा लेनी चाहिए।

जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर का पूरे विश्व में विशिष्ट महत्व है। जगतपित ब्रह्मा की नगरी पुष्कर करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में सरकार पुष्कर के विकास के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। पुष्कर विकास की बड़ी रूपरेखा तैयार कर कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से हर साल मेले को पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की भावना पुष्कर से जुड़ी हुई है। मेले और पुष्कर विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पुष्कर मेले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। इस बार मेला पूरी तरह सफल रहा है। जगतपिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर का भव्य विकास किया जाएगा। उन्होंने मेले के सफल आयोजन पर सभी को बधाई दी। मेला समापन की घोषणा जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने की।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि यह मेला पूर्ण रूप से शुरू से ही नवाचारों से भरा रहा है। ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दूरस्थ बैठे पशुपालकों को पशु आवास व्यवस्था के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराए गए। चौबीसों घंटे नए मेला मैदान में हेल्पडेस्क का संचालन किया गया। मेला सलाहकार समिति की बैठक दो माह पूर्व से ही आयोजित कर पशुओं एवं पशुपालकों के लिए बिजली, पानी की व्यवस्थाएं समय पर की गई। अश्व वंश की प्रतियोगिता नये मेला मैदान में आयोजित हुई तथा नये मेला मैदान में ऊंटों के लिए अलग से साफ जगह आरक्षित की गई।

उन्होंने बताया कि मेले में इस वर्ष 4957 अश्व , 1576 ऊंट , 1113 गौ व 67 भैस वंश सहित कुल 6715 पशु मेले में आए। गत 3 दिनों में नये मेला मैदान व पशु प्रदर्शनी स्थल में इन पशुओं की विभिन्न पशु प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक कुल 804 पशुओं का क्रय-विक्रय किया गया। इनमें लगभग चार करोड़ नौ लाख छिहत्तर हजार पांच सौ रूपये का लेनदेन हुआ। इससे विभाग को रवन्ना से 6894 रूपये की आय हुई। विभाग द्वारा मेले में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा कुल 76 स्टॉलें लगाई गई। इससे विभाग को 6 लाख 69 हजार 40 रूपए की राजस्व आय हुई।

नए मेला मैदान एवं पशु प्रदर्शनी स्थल में आयोजित विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ मेला पशु के विजेता पशुपालक श्री दीपक पुत्र मनराज अहीर आम का तालाब अजमेर को शील्ड व 21 हजार रूपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्द्रिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्दिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर और कोई पाप नहीं।

- स्वामी विवेकानन्द

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा जरूरी !

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से फसल को हुई हानि से किसानों को नियमानुसार किए गये बीमा की राशि उपलब्ध कराना है ताकि उनकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे। यदि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिलती है तो उन्हें सूदखोरों या बैंक से कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन अनेक प्रकरणों में यह देखा गया है कि देश में हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महत्या के अन्य कारण भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण कर्ज और प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होना भी है। फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन जब किसानों को फसल बीमा की राशि निर्धारित राशि बहुत कम मिलती है तब यह योजना किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन का मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने में असफल रहती है। इसके लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी और बीमा कम्पनी ही जिम्मेदार होते हैं जो बीमा की राशि इतनी कम तय करते हैं कि उस राशि से एक कप चाय तक नहीं पी सकते। यह सुनने और पढ़ने में अजीब लग सकता है लेकिन वास्तविकता यही है कि काफ़ी संख्या में फसल बीमा धारक किसानों को फसल बीमा की राशि मात्र 1 रूपया तक प्राप्त हुई है। क्या यह संभव है कि किसानों की फसल का इतना कम नुकसान हुआ था कि मुआवजा केवल 1 रूपया ही तय किया गया ? इससे फसल बीमा का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की इन्हीं विसंगतियों और खामियों के निराकरण के उद्देश्य से पिछले दिनों ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यावयन में आ रही समस्याओं और किसानों की परेशानियों का समाधान करने पर जोर देते कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की राशि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपये, 21 रुपए का भुगतान वास्तव में किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने फसल बीमा योजना की खामियों और बीमा की कम राशि मिलने को गम्भीरता से लिया है तथा बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि फसल के नुकसान का आकलन सही तथ्यों के आधार पर करें और किसानों को समय पर एक साथ दावा का भुगतान करें ताकि पीड़ित किसानों को तुरंत राहत मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2018 में आरम्भ हुई थी तथा इन वर्षों में योजना के तहत लगातार शिकायतें आती रही हैं लेकिन कोई कारगर समाधान नहीं किया। किसान परिवार से सम्बद्ध श्री चौहान ने इस दिशा प्रयास शुरू किए हैं तो यह उम्मीद क़ी जा सकती है कि प्राकृतिक आपदा से फसल क़ो हुए नुकसान का सही आकलन, बीमा की राशि का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर निर्धारण और क्लेम के भुगतान में सुधार होगा। वास्तव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में सुरक्षा कवच के रूप में वरदान की तरह है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी विसंगतियाँ उजागर हुई हैं जिससे इस महत्वपूर्ण योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद है या बीमा कंपनियों के लिए। जिस तरह से बीमा की राशि तय की जा रही है, इससे तो यही महसूस होता है कि फसल बीमा योजना से बीमा कम्पनियाँ ही लाभ कमा रही हैं। दरअसल फसल क़ो हुए नुकसान का आकलन करने का एक सर्वमान्य फार्मूला बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, क्षति के आकलन का रिमोट सेंसिग का जो आधार है, उसमें प्रमाणिकता कितनी है, इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जानी चाहिए। योजना की गाइड लाइन में भी बहुत कम राशि के लिए बीमा होने जैसे प्रावधान का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार इसे संशोधन करने की आवश्यकता है। फसल क़ो हुए नुकसान के सर्वे के समय बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी जरूर उपस्थित रहना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए व किसान को हुए वास्तविक नुकसान के आधार पर दावा का समय पर भुगतान मिल सके इसके लिए योजना की शर्तों के अनुसार भी राज्यों क़ो भी अपने हिस्से की राशि समय पर जमा करवाई जाए, ताकि फसलों के नुकसान की स्थिति में पीड़ित किसानों को उनकी क्लेम राशि समय पर मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री का यह सवाल भी वाज़िब है कि अनेक राज्य योजना के कार्यावयन के अपना अंश समय पर जमा नहीं करते हैं जिसके कारण योजना का लाभ किसानों क़ो समय पर नहीं मिल पाता और ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फूटता है। श्री चौहान ने सुझाव दिया है कि किसानों को तकनीक से जोड़ना पड़ेगा, जिससे योजना के कार्यावयन में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और किसान भी जागरूक रहें ताकि कहीं भी गड़बड़ियां नहीं होने की गुंजाईश बाकी नहीं रहे।

विश्व मछुआरा महिला दिवस

मछुआरा महिलाओं का संघर्ष : सवाल जो अब भी अनसुने हैं

● लता प्रतिभा मधुकर

हर साल 5 नवंबर को विश्व मछुआरा महिला दिवस मनाया जाता है। सोशल मीडिया पर बधाइयाँ तो मिलती हैं, पर असली सवाल अब भी अनुत्तरित हैं-महिला आंदोलनों और जन आंदोलनों में मछुआरा महिलाएँ और उनका नेतृत्व आखिर कहाँ है? उनके मुद्दे, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएँ, उनकी अस्मिता—इन सबको मुख्यधारा की चर्चाओं में जगह क्यों नहीं मिलती?

यह सच है कि विश्व स्तर पर मछुआरा महिलाएँ संगठित हो रही हैं और तटीय नियमन, विस्थापन, पुनर्वास तथा आजीविका जैसे मुद्दों पर संघर्ष भी जारी है। लेकिन भारत में मछुआरा स्त्रियों के संघर्ष को केवल इन्हीं सवालों तक सीमित कर देना, उनके व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक और जाति-आधारित अनुभवों की अनदेखी है। एक तरफ ऊँची जातियों का स्त्रीवादी विमर्श उनके जीवन पर शोध-पत्र लिखकर पर्यावरणीय बहसों में सम्मान अर्जित करता है; दूसरी ओर स्वयं मछुआरा महिलाओं की आवाज़, नेतृत्व और उपस्थिति इन विमर्शों में लगभग अदृश्य है।

यह समुदाय सिर्फ आजीविका का प्रतीक नहीं है-यह एक सांस्कृतिक और जाति-आधारित उत्पादन संसार है। सवाल यह है कि क्या हम इसे उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं? या फिर कोली गीतों को केवल मनोरंजन, लोक-नृत्य और मंचीय प्रदर्शन तक सीमित कर देंगे—बिना यह समझे कि उनमें समुद्र, जोखिम, श्रम और स्मृति की जीती-जागती भाषा बोलती है। पूर्णिमा मेहर का नाम मछुआरा महिलाओं के नेतृत्व में प्रमुख रूप से जाना जाता है। वे समाजवादी विचारधारा से जुड़ी रहीं और उन्होंने सैकड़ों मछुआरा महिलाओं को संगठित करने का कठिन, लगातार और धैर्यपूर्ण काम किया। लेकिन यह भी सच है कि मुख्यधारा के अधिकांश महिला

और जन आंदोलनों में उनका नाम, उनका कार्य और उनके साथ संघर्ष करने वाली स्त्रियाँ आज भी लगभग अनजान हैं। यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ तथाकथित जन आंदोलनों की प्रवृत्ति अक्सर एक चेहरा, एक नेतृत्व और एक वर्ग की प्रतिनिधिक छवि पर ही टिक जाती है। आंदोलन की भीड़ में शामिल वे स्त्रियाँ जो समुद्र के ज्वार-भाटे की तरह रोज़ जीवन की लड़ाई लड़ती हैं, उन्हें आंदोलन की भाषा में अक्सर सिर्फ 'जनसमर्थन' या 'संख्या' के रूप में दर्ज किया जाता है-नेतृत्व और विचार की साझेदार के रूप में नहीं। यानी संघर्ष में वे शरीर हैं, लेकिन नेतृत्व में उनकी आवाज़ अनुपस्थित है।

क्या इसलिए मछुआरा महिलाओं को मुख्यधारा के महिला आंदोलनों में वह जगह नहीं मिली, क्योंकि उनका संघर्ष केवल वर्ग और रोजगार के प्रश्न तक सीमित नहीं, बल्कि जाति, श्रम और आजीविका की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा है? जिन महिलाओं के हाथ समुद्र की नमक-गंध और मछली के श्रम से पहचाने जाते हैं, उन्हें अक्सर उन आंदोलनों में जगह नहीं मिली, जिनका नेतृत्व लंबे समय तक ऐसे वर्गों के हाथों में रहा जो प्याज़-लहसुन से लेकर मछली और मांस तक से परहेज़ को 'शुचिता' का हिस्सा मानते रहे। परिणाम यह हुआ कि मछली या मांस बेचकर अपना घर चलाने वाली स्त्रियाँ महिला आंदोलन की परिधि में धकेल दी गईं।

भारत का महिला आंदोलन आज तक लगभग 70 प्रतिशत मांसाहारी, मछली खाने वाली और उत्पादन-आधारित महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा करता आया है। यही सच्चाई है, क्योंकि इन का नेतृत्व मांस-मछली से परहेज रखनेवाली शाकाहारी ब्राह्मणवादी मानसिकता की उच्चवर्णीय महिलाओं के हाथों में है।

इसलिए सोचिए कि क्यों भारत की मछुआरा महिलाओं को उच्च शिक्षा और नेतृत्व के अवसर नहीं मिलते? जैसे वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन, फिलिपींस, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में हमें दिखाई देता है।

विश्व मछुआरा महिला दिवस पर सवाल यही है कि मछुआरा महिलाओं का नेतृत्व, उनकी आवाज़ और उनके संघर्ष आज भी मुख्यधारा के महिला आंदोलनों में जगह क्यों नहीं पाते? समुद्र किनारे खड़ी ये महिलाएं सिर्फ आजीविका नहीं, जाति, श्रम और अस्तित्व की जंग लड़ रही हैं।

वर्ल्ड फिश वर्कर्स फोरम में भारत की कितनी मछुआरा महिलाएं हैं? जो हैं, क्या वे मछुआरा समुदाय से हैं? या उनको संगठित करनेवाली या उनपर रिसर्च करने वाली खुद को भद्र कहने वाली महिलाएं है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन देशों का हमने उदाहरण दिया—जैसे श्रीलंका, फिलिपींस, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम—वहाँ मछुआरा महिला आंदोलन का नेतृत्व स्वयं मछुआरा महिलाओं के हाथ में है। वहाँ उनके संघर्ष और एजेंडा को किसी ऊँची जाति या बाहरी नेतृत्व के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। भारत में समस्या यह नहीं कि मछुआरा महिलाएँ संघर्ष नहीं कर रहीं। समस्या यह है कि उनके संघर्ष की बागडोर अक्सर उनके हाथों में नहीं होती।

लगभग सभी मछुआरे ओबीसी समुदाय से आते हैं, जैसे कि हमारे देश के लगभग 90 प्रतिशत किसान भी ओबीसी हैं। लेकिन 'किसान महिला', 'असंगठित मज़दूर महिला' या 'मछुआरिन' के नाम पर बने वर्गीय संगठनों ने उनकी उत्पादक जाति-आधारित अस्मिता को अक्सर नज़रअंदाज़ किया। वामपंथी वर्ग आधारित स्त्रीवाद ने भी इस पहचान को केंद्र में रखने के बजाय सिर्फ श्रम के सवाल के रूप में प्रस्तुत किया। इसी कारण भारत में, केरल और बंगाल जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो मछुआरा संगठनों के राष्ट्रीय नेतृत्व में उच्च जाति की महिलाएँ लगभग अनुपस्थित हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला आंदोलन के पचास वर्ष पूर्ण होने पर महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति परिषद का गठन किया गया। इसमें कई स्त्री संगठन जुड़े, लेकिन इनमें अब भी अनेक समुदायों की महिलाओं की उपस्थिति और उनके मुद्दों का उल्लेख लगभग अनुपस्थित है। महिला आंदोलन ने उनके साथ प्रत्यक्ष तौर पर काम करने की बजाय, अधिकतर उनके जीवन पर शोध और रिपोर्ट बनाने को प्राथमिकता दी—क्योंकि उनके नाम पर फंडिंग प्राप्त करना संभव था। ऐसे कई एनजीओ और संस्थाएँ खड़ी हुईं, जिनमें इन समुदायों की महिलाओं को न तो संगठन में शामिल किया गया और न ही निर्णय-प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका रही। उनके नाम, श्रम और अनुभवों का इस्तेमाल हुआ—पर आवाज़ और नेतृत्व नहीं दिया गया। इसलिए मूल सवाल अब भी बना हुआ है— महिला संगठनों में सक्रिय सदस्य और नेतृत्व की भूमिका में कितनी मछुआरा महिलाएँ वास्तव में मौजूद हैं?

(सप्रेस)

शहद उत्पादन कैसे बढ़ायें ..?

- डॉ. विवेक सिंह तोमर
- दीपिका नेमा
- डॉ. राजेश वर्मा

virus.tomar@gmail.com

शहद उत्पादन हेतु जहां एक ओर भौनचर पुष्पों की उपलब्धता आवश्यक है वहीं मौनवशों का समयानुसार उचित प्रबंध भी आवश्यक होता है। अधिकतम शहद उत्पादन हेतु किये जाने वाले प्रबंधन कार्य निम्न लिखित हैं –

उत्तेजनात्मक खुराक

शरद एवं बसंत ऋतु के पूर्व अनुपूरक खुराक एवं पराग अनुपूरक दिया जाना चाहिये जिससे शिशु पालन को बढ़ाया जा सके एवं मधुमक्खियों को बाहर जाने हेतु प्रेरित किया जा सके।

मौनगृहों में पर्याप्त स्थान का होना

मौनगृहों में शहद एवं पराग कणों को एकत्रित करने के लिये तथा रानी को अण्डे देने के लिये पर्याप्त स्थान की उपलब्धता का ध्यान हमेशा रखना चाहिये।

बकछूट नियंत्रण

सितबर- फरवरी-मार्च के माह में जब मौनवशों में मक्खियों की संख्या में

अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है इस दौरान यदि वंशों को बकछूट से बचाने के उपाय नहीं करें तो मधुमक्खी पालक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अत: बकछूट नियंत्रण एवं बकछूट किये वंशों को पकड़ने से संबंधित प्रबंधन कार्य करना अति आवश्यक होता है

रानी मक्खी की गुणवत्ता

रानी मक्खी को तीन प्रजनन ऋतु या 18 माह कम से कम 24 माह अधिक से अधिक बाद बदल देना चाहिये। इसके लिये बसंत के पहले का समय उचित होता है ताकि बसंत ऋतु में शहद प्रवाह के पूर्व वंश शक्तिशाली हो जाये एवं अधिक शहद प्राप्त किया जा सके साथ ही बकछूट का भय भी ना रहे।

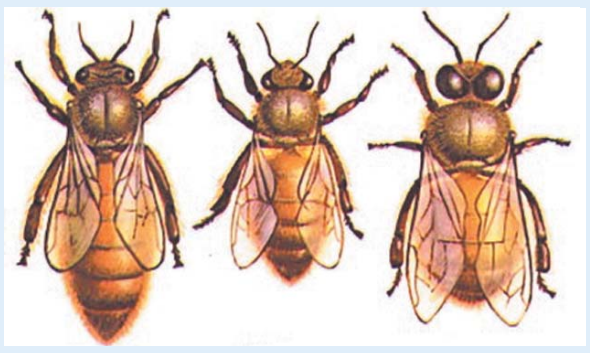

नर मक्खियों की संख्या नियंत्रित करना

नरमक्खी श्रमिकों की तुलना में 8-10 गुना तक खाना खाती है इसलिये जब इनकी आवश्यकता हो तब इनकी संख्या पर नियंत्रण करना चाहिये जो शिशुओं को नष्ट कर या नर पकड़ प्रपंच लगा कर किया जा सकता है।

दो रानी पद्धति

दो रानियां एक वंश में जो एक दूसरे से रानी रोक पट्ट द्वारा अलग की हुई होती हैं इस प्रकार एक रानी शिशुका में एवं एक रानी सुपर कक्ष में होती है। इससे वंश वृद्धि अधिक तेजी से होती है।

वायु संचार की व्यवस्था

मौनगृहों में उचित वायु संचार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे एकत्रित किया गया शहद में नमी को कम करने हेतु मक्खियों को अतिरिक्त श्रम ना करना पड़े एवं पके शहद की निकासी कम समय में की जा सके।

मधुमक्खियों की संख्या के लिये प्रबंधन

मुख्य शहद प्रवाह के 40 दिन पहले मौन वंशों में मधुमक्खियों की संख्या अधिक होना चाहिये यह प्रबंधन दो वंशों को मिलाकर या कमजोर वंश को मजबूत वंश में मिलाकर किया जाना चाहिये। क्योंकि अधिक शहद प्राप्ति हेतु मौनवशों का अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिकल्पना के अनुसार 10,000 श्रमिक मक्खियों का वजन 1 किलोग्राम के लगभग होता है तथा शहद उत्पादन मौनगृह में मौजूद मक्खियों की संख्या के कुल वजन के वर्ग के बराबर होता है।

स्थानांतरण मधुमक्खी पालन

मौनचर पुष्पों की उपलब्धता पूरे वर्ष एक सी नहीं होती है। अत: व्यवसायिक मौन पालन हेतु स्थानांतरण मौनपालन का अपनाना आवश्यक होता है। इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये।

- स्थानांतरण के एक सप्ताह पूर्व मधु निकासन कर लिया जाना चाहिये।
- मौन गृहों को स्थानांतरण के पूर्व अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिये जिससे स्थानांतरण के दौरान मक्खियां बाहर नहीं निकलें परंतु मौनगृहों में वायु संचार का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये।
- मौनगृहों का स्थानांतरण रात के समय ही किया जाये।
- स्थानांतरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ी अच्छी होना चाहिये तथा मौनगृहों को इस प्रकार लोड किया जाये जिससे इसके अंदर के छातों में कम से कम झूलेदार गति हो। उपरोक्त बातों से शहद उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती है।

कृषक जगत राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर द्वारा प्रकाशित फसल पुस्तक श्रृंखला

नाम ..... ग्राम.....
पोस्ट ..... तह. ..... जिला.....
फोन/मोबा. .....कुल राशि.....
ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या/संलग्न ड्रॉफ्ट नं. .....
मनी ऑर्डर क्र. ..... वी.पी. भेजें।

नोट : कृपया ड्राफ्ट या मनीऑर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम नीचे लिखे पते पर भेजें

प्रधान कार्यालय : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011
फोन: 0755-4248100,2554864, मो. : 9826255861
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर
मो. : 09826021837

फलों का फटना एवं नियंत्रण

● उपेन्द्र यादव, फल विज्ञान विभाग
चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
ईमेल : upendray123123@gmail.com

फलों का किसी कारण से फटना 'स्प्लिटिंग' कहलाता है। यह समस्या प्रायः सेब, चेरी, खजूर, अंगूर, अंजीर, लीची, अनार और नारंगी जैसे फलों में देखने को मिलती है। फल का फटना/चटकना एक क्रमिक प्रक्रिया है और यह तीन चरणों में होती है, फल के चटकने का प्रारंभिक, मध्य और बाद का चरण। प्रारंभिक चरण में फल की सतह पर भूरे रंग की एक रेखा या पट्टी उभरने लगती है। इसके बाद सतह पर हल्की दरारें दिखाई देने लगती हैं, जिससे फल की तेल ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं। जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो तेल ग्रंथियाँ गंभीर रूप से फट जाती हैं, और इसके परिणामस्वरूप फल की बाहरी सतह एवं कोशिकाएँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फटने के बाद, सतह की कोशिकाओं के बीच बड़ा रिक्त स्थान बन जाता है, जिससे फल की बनावट पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

फल फटने के प्रकार

● चेरी में फल के ऊपरी भाग पर सूक्ष्म अर्धचंद्राकार दरारें बन जाती हैं।

● नींबू और लेमन में फलों के किनारों पर असामान्य फटने की स्थिति देखी जाती है।

● टमाटर में डंठल के चारों ओर गोल या अर्द्धगोलाकार फटन होती है।

● कागजी नींबू में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गहरी दरार पड़ जाती है।

● लीची जैसे कुछ फलों में डंठल वाले छोर पर सामान्यतः फटन देखने को मिलती है।

फल फटने के मुख्य कारण

नमी : जब लम्बे समय तक सूखा रहता है और अचानक वर्षा होती है, तो फल अधिक पानी सोख लेते हैं। इससे फलों के अंदर रस की मात्रा बढ़ जाती है और फल फट जाते हैं।

तापमान : अधिक तापमान और सूखी मिट्टी के बाद अचानक अधिक पानी देने या वर्षा होने पर फलों की बाहरी परत सख्त हो जाती है और अंदर के ऊतक फैलने से फल फट जाते हैं।

हवा: तेज और गर्म हवाएँ विशेषकर लीची के फलों में फटन का कारण बनती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मैदानों में लीची की खेती कम होती है।

परिपक्वता : फलों में शर्करा और ठोस पदार्थ बढ़ने के साथ उनका फटना भी बढ़ता है।

पोषक तत्वों की कमी : बोरोन की कमी से चेरी और ताँबे की कमी से नींबू वर्ग के फल फटने लगते हैं।

कीट व रोग : कीड़े और बीमारियाँ छोटे फलों पर आक्रमण कर उन्हें कमजोर बना देती हैं, जिससे बढ़ने के साथ वे फट जाते हैं।

यांत्रिक कारण : ठंडे और अधिक नम वातावरण में नींबू वर्ग के फलों के अंदर-बाहर तेल का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे फल काले पड़कर फट जाते हैं।

नियंत्रण के उपाय

नियमित सिंचाई और निराई-गुड़ाई : फल लगने से पकने तक निश्चित समय पर सिंचाई व निराई करने से समस्या को रोका जा सकता है।

रासायनिक उपचार: बोर्डो मिश्रण, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्शियम एसीटेट जैसे रसायनों का उपयोग लाभकारी है।

● 0.1 प्रतिशत कॉपर सल्फेट से 2 प्रतिशत

● 0.1 प्रतिशत कैल्शियम हाइड्रेट से 16 प्रतिशत तक फल फटने की समस्या कम की जा सकती है।

हार्मोन छिड़काव: फल पकने से 10 दिन पहले 1.0 पीपीएम नैफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करने से लगभग 60 प्रतिशत फल फटने से बच सकते हैं।

तेल का प्रयोग : 'ऑरेंज रिंड ऑयल' का छिड़काव कम तापमान और अधिक नमी की स्थिति में किया जाए तो फटन कम होती है।

जल्दी तोड़ाई : यदि फलों को पूर्ण आकार प्राप्त होने के बाद, परंतु पूरी तरह पकने से पहले तोड़ लिया जाए तो वे फटने से बच सकते हैं।

अन्य उपाय

● तेज हवाओं से बचाव हेतु बगीचे के चारों ओर वायु अवरोधक वृक्ष लगाएँ।

● कीट व रोगों पर नियंत्रण रखें।

● फटन-प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें।

● पौधों को यांत्रिक क्षति से बचाएँ।

● बगीचे में रासायनिक व जैविक उपचार अपनाएँ।

भारत में फल फटना एक गंभीर समस्या है, जिससे उत्पादन और बाजार मूल्य दोनों कम हो जाते हैं। उपरोक्त उपायों के माध्यम से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे फल की गुणवत्ता, उपज और किसानों की आय, तीनों में सुधार संभव है।

खीरे को कीट, मुरझाने से बचाएं

भारत में सुरक्षात्मक खेती के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली ग्रोइट इंडिया के क्रॉप कवर ने विभिन्न पर्यावरणीय, जैविक और रसायनिक खतरों की चिंता किए बिना बेहतर गुणवत्ता वाले खीरे उगाना अब संभव बना दिया है। ग्रोइट के क्रॉप कवर यूवी-उपचारित होने के साथ-साथ नॉन-वोवन सामग्री के बने होते हैं, जिसकी वजह से वे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ग्रोइट के क्रॉप कवर ग्रोइट की ही प्लास्टिक मल्च फिल्मों के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार काम करते हैं कि सबसे वैज्ञानिक और स्वस्थ तरीके से खीरे उगाने के लिए पूरी तरह से योग्य बन जाते हैं।

खीरे की खेती में प्रमुख समस्याएं

मौसम-संबंधी विसंगतियों के अलावा, खीरे की फसलों को पोटीवायरस, ZYMV, WMV, MWMV, PRSV, CMV, बैक्टीरियल विल्ट, ऐंगुलर लीफ स्पॉट, रुट नॉट डिजीज, डाऊनी मिल्ड्यू, पाऊडरी मिल्ड्यू, ककंबर अल्टरनेरिया लीफ, धारीदार और चित्तीदार ककंबर बीटल, और एफिड्स से खतरा रहता है। इनमें से बैक्टीरियल विल्ट खीरे की खेती करने वालों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। बैक्टीरियल विल्ट का अटैक तब होता है जब वसंत ऋतु में ककंबर बीटल खीरे के पौधों पर चरते हैं। वे पौधे को बैक्टीरिया से संक्रमित करते हैं जो पौधे को धीरे-धीरे सुखा कर मार डालते हैं।

बचाव का तरीका

इस का समाधान ग्रोइट के क्रॉप कवर्स, जो खीरे के पौधे में बैक्टीरिया का कारण बनने वाले कीटों, और उनके कारण फसल को होने वाले नुकसान के खिलाफ काफी प्रभावी हैं, की स्थापना में निहित है। खीरे की खेती के लिए ग्रोइट के क्रॉप कवर का उपयोग करने से ये बीटल पौधों से दूर रहते हैं, जिससे पौधों के मुरझाने का खतरा कम हो जाता है।

क्रॉप कवर कब और क्यों हटायें

ग्रोइट के क्रॉप कवर बीजों को विधिवत तैयार की गई क्यारियों में लगाए जाने के बाद खड़े किए जाते हैं। फाईबर स्टिक्स एक दूसरे से कम से कम 12 से 15 फीट की दूरी पर रखी जाती हैं, और तीनों तरफ एग्री थ्रेड बाँधा जाता है। नॉन-वॉवन क्रॉप कवर इनके ऊपर लगाया जाता है, जिसे स्थिर रखने के लिए इसके बाद प्लास्टिक क्लिप को लगाए जाते हैं। इन्हें अक्सर पौधों पर नर और मादा फूल दिखाई देने पर हटाया जाता है ताकि पौधों के मित्र कीटों को परागण की प्रक्रिया का अनुसरण करने का अवसर प्राप्त हो सके, जिसके बिना हमें हमारे खीरे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन, उत्पन्न होते ही क्रॉप कवर को हटाने पर भी बैक्टीरियल विल्ट खतरे पर पूर्ण नियंत्रण के लिए फूलों के प्रकट होने के बाद इन क्रॉप कवर्स को थोड़ी देर तक लगे रहने दें। क्रॉप कवर के अंदर परागणकों (मधुमक्खियों) को सम्मिलित करना खीरे के किसानों के लिए अन्य विकल्प हैं ।

ग्रोइट के नॉन-वोवन क्रॉप कवर के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- वेबसाइट https://www.thegrowit.com या ग्रोइट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं।

आधुनिक दुधारू पशु प्रबंधन

स्वास्थ्य, पोषण और उत्पादन क्षमता

● निकिता शर्मा ● अनुभूति द्विवेदी
● अंकुर त्रिवेदी ● चंद्रहास साहू
ercsahu2003@yahoo.com

दुग्ध प्रबंधन के चार मुख्य स्तंभ हैं

● प्रजनन ● पोषण ● आवास ● छंटनी

पशुओं का आहार

दुग्ध उत्पादन की पूरी अवधि के दौरान दुधारू पशुओं की दुग्ध प्रबंधन के लिए दूध का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। ब्यांत के बाद और शुरुआती दुग्धकाल के दौरान दुधारू पशु के उचित प्रबंधन का विशेष महत्व है।

प्रबंधन के सिद्धांत

ब्याने के तुरंत बाद और पहले कुछ दिनों के लिए सुपाच्य आहार और गुनगुना दलिया खिलाया जाना चाहिए। इस समय पशु को अलग से रखा जाना चाहिए। थनों को खाली करने के बारे में विशेष ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि लगातार खाली करने से जानवरों में दूध के बुखार की घटना हो सकती है।

● स्तनपान के शुरुआती चरणों के दौरान नियमित रूप से शरीर के वनज और स्थिति की निगरानी करें। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस दौरान पशु अत्यधिक शारीरिक स्थिति (बॉडी कंडीशन) नहीं खोता है क्योंकि इससे लीवर में वसा का जमाव हो सकता है जिसे 'फैटीसिंड्रोम' भी कहा जाता है।

● दूध सबसे अधिक सस्ते रूप में चारे से उत्पन्न होता है। इसलिए हर साल हरे चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

● दलहनी और गैर-गैरदलहनी चारे का एक संयोजन 400 किलो वनज वाली गाय के रखरखाव और उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा है और केवल 1 किलोग्राम के बांटे के साथ 8 लीटर दूध तक उपज देता है। गैर फलीदार चारा खिलाने के लिए अतिरिक्त आधा किलो बांटे की आवश्यकता होगी। उसी गाय को यदि सूखी घास खिलाया जाता है तो उसे क्रमशः 5 और 4.5 किग्रा के अनुपात में बांटे मात्रा की आवश्यकता होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28-30 प्रतिशत का योगदान सराहनीय है जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15 प्रतिशत गायें एवं 55 प्रतिशत भैंसें हैं और देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 54 प्रतिशत भैंसों, 42 प्रतिशत गायों और 3 प्रतिशत बकरियों से प्राप्त होता है। यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे-मवेशियों की नस्ल, पालन-पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में किये गये अनुसंधान एवं उसके प्रचार-प्रसार का परिणाम है। भारत में लगभग 2 करोड़ लोग आजीविका के लिये पशुपालन पर आश्रित है। पशुओं के झुंड को उच्च, मध्यम और कम उपज में विभाजित किया जा सकता है और तदनुसार इन्हें संतुलित राशन विशेष रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले हरे चारे को पूरे साल खिलाया जाना चाहिए।

● अधिक मात्रा में दूध देने वाली दुधारू गायों (20 लीटर/ दिन) के मामले में, बांटा और चारा 300 ग्राम प्रतिदिन के स्तर पर तेल/वसा के साथ पूरक किया जा सकता है।

● दूध का मध्यम स्तर हरे और सूखे चारे के एक उपयुक्त संयोजन पर बनाए रखा जा सकता है। पुआल और हरे चारे के मिश्रण को खिलाते समय, यह जरूरी होगा यदि 1 किलो भूसे को प्रत्येक 100 किलोग्राम शरीर के वजन के लिए 4-5 किलोग्राम हरे चारे के साथ मिश्रित किया जाए। यदि प्रचुर मात्रा में गुणवत्ता वाला हरा चारा उपलब्ध नहीं है और राशन निम्न गुणवत्ता के पुआल/स्टोव पर आधारित है, तो अतिरिक्त बांटे/ कन्सन्ट्रेटफीड की आवश्यकता है।

● शुष्क पदार्थ के बराबर मध्यम उपज देने वाली दुधारू डेयरी गायों का चारा सेवन प्रति 100 किलोग्राम शरीर के वजन के बारे में 5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ है। अधिक उपज देने वाले पशुओं में शुष्क पदार्थ का सेवन 3-5 प्रतिशत या इससे अधिक हो सकता है।

● चारे को भूसा करके ही दिया जाये। हालांकि, बहुत अधिक भूसे से बचायें क्योंकि यह जुगाली प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

● बांट के अनाज वाले हिस्से को हल्का दलिया रूप में पीस दिया जाना चाहिए अन्यथा इसका कुछ हिस्सा मल में प्रकट हो सकता है। बांट मिश्रण को नम करने और खिलाने से पहले भूसे के साथ मिश्रण करना वांछनीय है।

● दुधारू गायों को स्वच्छ पेयजल मिले। उन्नत गर्भवती गायों और भैंसों को खिलाने के लिए उचित देखभाल भी की जानी चाहिए क्योंकि इन महत्वपूर्ण चरणों में पोषण प्रबंधन उम्र का निर्धारण करेगा और दुग्ध काल/लैक्टेशन के शुरुआती चरणों के दौरान उपयोग के लिए शरीर के भंडार का पर्याप्त निर्माण सुनिश्चित करेगा।

● जई, मक्का, गेहूं/धान के पुआल और बांटा (उत्पादन के स्तर के आधार पर) के साथ बरसीम का एक उपयुक्त संयोजन सर्दियों के दौरान दुधारू गायों और भैंसों को खिलाने की सबसे व्यावहारिक रणनीति है। ऐसे राशन की कुल सूखी सामग्री लगभग 22 प्रतिशत होनी चाहिए और कच्चे प्रोटीन की मात्रा लगभग 14 प्रतिशत होनी चाहिए।

● यदि पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध नहीं है और हमें पुआल पर निर्भर रहना है, तो हम विशेषज्ञ मार्गदर्शन में यूरिया के साथ इलाज करके भूसे की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

● लेग्युमिनस घास या पुआल के साथ हरेरंग का रसीला चारा एक साथ प्रदान करें, जिससे कि पशुओं की खपत हो सके। प्रत्येक 2 से 5 लीटर दूध के लिए 1 किलो की दर से अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। अच्छी मिल्किंग बनाए रखने के लिए नमक और खनिज की खुराक दी जानी चाहिए।

● भोजन की नियमितता बनाए रखें।

दुधारू मवेशियों का आहार और पोषण प्रबंधन
कुल मिश्रित राशन के लिए कण आकार की सिफारिशें

	छिद्र आकार (मिमी)	कण आकार (मिमी)	वजन के अनुसार प्रतिशत
ऊपरी छलनी	19.1	>19.1	2-8
मध्य छलनी	7.9	7.9-19.1	30-50
निचली छलनी	4.0	4.0-7.9	10-20
निचली छलनी	1.8	1.8-7.9	30-50
निचलापन	कोई नहीं	<4.0या <0.18	30-40या≤20

स्रोतः दुग्ध मवेशियों का आहार एवं पोषण प्रबंधन-प्रबंधन और पोषण-मर्क पशुचिकित्सा पुस्तिका

टीएमआर : पशुओं के लिए संतुलित पूर्ण मिश्रित आहार

टीएमआर (टोटल मिक्स्ड रेशन) एक ऐसा संतुलित आहार है जिसमें हरा चारा, सूखा चारा और दाने मिलाकर पशुओं को एक साथ दिया जाता है। इससे पशुओं को सभी आवश्यक पोषक तत्व समान मात्रा में मिलते हैं।

टीएमआर आहार सामान्य चारे की तुलना में 8-12 प्रतिशत तक अधिक लाभ देता है। इससे दूध उत्पादन बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और पशु स्वस्थ रहते हैं।

इस आहार को बनाने के लिए विशेष मशीनों से सभी चारे को सही अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण में नमी की मात्रा और कण आकार का ध्यान रखना जरूरी है। पशुओं को रोज़ साफ और ताज़ा टीएमआर दिया जाना चाहिए।

टीएमआर पद्धति से चारा बचता है, उत्पादन लागत घटती है और पशुओं की पोषण ज़रूरतें पूरी होती हैं — यह आधुनिक डेयरी प्रबंधन की एक प्रभावी तकनीक है।

दुधारू पशुओं में जेर का रुकना गंभीर समस्या

● पशुओं में ब्यांत के पश्चात जेर का रुकना एक गंभीर और आम समस्या है जिसके कारण पशु तथा पशुपालक दोनों को हानि होती होती है।

● जेर रुकने की समस्या मुख्यतः दुधारू पशुओं में अधिक देखने को मिलती है।

● पशुओं में जेर रुकने के फलस्वरूप गर्भाशय के भीतरी सतह में सूजन, गर्भाशय में सूजन और गर्भाशय में मवाद का भरना इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियाँ पनपती हैं जिससे कि पशुओं में बुखार, खाने में कमी, जनन क्षमता में कमी तथा दुग्ध उत्पादन अत्यधिक प्रभावित होता है जिससे किसान को हानि होती है।

● सामान्यतः पशुओं में ब्यांत के पश्चात तीन से आठ घंटे के भीतर ही जेर स्वतः धीरे-धीरे बाहर निकल जाती है, परन्तु यदि जेर आठ से बारह घंटे तक नहीं निकलती है तो यह जेर रुकने जैसी समस्या का सूचक है।

● पशुपालक को चौबीस घंटे तक जेर के निकलने का इन्तजार करना चाहिए और ना निकलने पर योग्य पशुचिकित्सक से सलाह और उपचार कराना चाहिए।

रोग का पूर्वानुमान

● जेर के रुकने से मादा पशुओं में मृत्युदर एक प्रतिशत से भी कम होती है परन्तु इसके फलस्वरूप पशुओं में शरीर का गिरना (वजन घटना), बांझपन, पशुपालक के आय श्रोत में कमी, दुग्ध उत्पादन में कमी तथा दोबारा गर्भित होने में देर होना इत्यादि आम है।

● जेर के रुकने से गर्भाशय के आकार का पुनिर्माण देर से होता है और गर्भाशय में सूजन आ जाती है।

● जेर रुकने से मादा पशुओं में बांझपन का कारण गर्भाशय तथा अंडाशय में सूजन, गर्भाशय की भीतरी सतह में अत्यधिक क्षति का होना है।

उपचार एवं प्रबंधन

● जेर के रुकने का उपचार सामान्यतः चार प्रकार से किया जाता है- (क) हाथ से जेर को निकालना जिसमे योनि में हाथ डालकर जेर के लटकते भाग को पकड़कर हल्का जोर लगाकर खीचा जाता है जिससे जेर बाहर निकल जाता है, हाथ को योनि में डालने के पहले सफाई का खास ध्यान देना आवश्यक है जिससे संक्रमण का भय नहीं रहता है। इस विधि से कभी-कभी जेर पूरी नहीं निकल पाती और जेर का कुछ भाग गर्भाशय में ही रह जाता है जिससे पुनः गर्भाशय के संक्रमण का खतरा बन जाता है, जेर निकालते समय अधिक बल का प्रयोग करने से खून निकलता है और हानिकारक जीवाणुओं के विकास में मदद करता है।

(ख) इकबोलिक पदार्थ का प्रयोग, इसके प्रयोग से जेर के निकलने में तथा गर्भाशय के भीतर की गंदगी को निकलने में मदद मिलती है, इकबोलिक पदार्थ के उदाहरण ओक्सिटोसिंन, प्रोस्टाग्लैंडीन इत्यादि हैं।

(ग) गर्भाशय के भीतरी सतह में सूजन या गर्भाशय के सूजन का योग्य पशुचिकित्सक द्वारा उपचार कराना चाहिए।

(घ) कभी-कभी जेर के रुकने की समस्या बिना किसी उपचार के स्वतः ही ठीक हो जाती है और जेर गल कर अवशोषित हो जाती है।

समस्या –समाधान

तुलसी

समस्या : मैं तुलसी की खेती करना चाहता हूं, मार्गदर्शन दें।

समाधान : तुलसी का पौधा 2 से ढाई फिट ऊंचाई वाला झाड़ीनुमा होता है। यह सुगंधित तेल का एक उत्तम स्त्रोत है, तुलसी की जातियों में काली तुलसी 311, वन तुलसी तथा कपूर तुलसी कृषकों में अधिक प्रचलित है तथा व्यवसायिक स्तर पर इसकी खेती की जा रही है। इन जातियों से तेल तथा अवयव मिलते हैं, इसका उपयोगी भाग बीज अथवा सम्पूर्ण पौधा है। यह दोमट तथा बलुई मिट्टी जिसका पी.एच. 5 से 8.5 हो। जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बीजों द्वारा नर्सरी में पौध तैयार की जाती है। प्रति हेक्टेयर के लिए 600 से 800 ग्रा. बीज की आवश्यकता पड़ती है और रोपाई अप्रैल, मई के महिनों में की जाती है। तुलसी का उपयोग औषधियों में (कफ सीरप, खांसी की गोलियां), सौन्दर्य प्रसाधनों तथा आयुर्वेदिक दवाओं में तेल से प्राप्त अवयवों का उपयोग, टूथपेस्ट, माऊथ वाश, डेन्टल क्रीम में किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

बेल और पिप्पली

समस्या : बेल और पिप्पली लगाना चाहता हूं, विस्तृत जानकारी दें।

समाधान: बेल सारे भारत में हर जगह पाया जाता है। फल पकने पर हरे से सुनहरे पीले रंग का हो जाता है तथा गोलाकार, सख्त, चिकना एवं आकार में 5 से 20 सेमी. व्यास का होता है। पुष्प छोटे तथा सफेद होते हैं। पत्तियां संयुक्त, त्रिपत्र तथा चिकनी एवं चमकदार होती हैं। इसका उपयोगी भागफल, पत्ती और जड़ होता है। यह समस्त भारत में विशेषतः सूखी पहाड़ी क्षेत्रों तथा हिमालय में 4 हजार फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। ताजे बीजों को नर्सरी में बोकर पौध तैयार की जाती है। मानसून आने पर इसका वृक्षारोपण कर दिया जाता है। बेल का फल बवासीर रोकता है व कब्ज की आदत को तोड़ता है। इससे आंतों की कार्य क्षमता बढ़ती है, भूख सुधरती है एवं इन्द्रियों को बल मिलता है। इसके फल का जूस गर्मियों में लाभदायक होता है। पिप्पली अथवा लेन्डी पीपल लता स्वरूप, बहुवर्षीय, पत्ते छोटे ह्रदयाकार, पके हुए फल हरे काले रंग के किन्तु सूखने पर काले हो जाते हैं और लम्बे गोल होते हैं। इस वनौषधि का उत्पत्ति स्थान इन्डोनेशिया तथा मलेशिया है। यह भारत, श्रीलंका तथा नेपाल के जंगलों में भी पाई जाती है। इसकी खेती व्यवसायिक स्तर पर भारत में की जाती है।

फल और जड़ इसका उपयोगी भाग है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त भूमि लाल मिट्टी वाली सिल्ट दोमट से लेकर मध्यम भारी एवं उत्तम जल निकास वाली बहुत ही अच्छी होती है। खेत में दो–तीन बार जुताई करके तथा खेत में पाटा चलाकर खेत को भुरभुरा समतल तैयार करना चाहिए, ताकि इसमें जल भराव न हो, इसके फल तथा मूल का प्रयोग प्राचीनकाल से आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के निर्माण में किया जा रहा है। इस वनौषधि का उपयोग दमा, खांसी, ब्रोकाइटिस, कुष्णरोग, कुपचन, कामला, जुकाम की औषधियां बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पेचिश, बवासीर, मोटापा दूर करने, दांत निकलने में आसानी, आंखों की खुजली दूर करने, सायटिका दूर करता है। इसका प्रयोग मसालों में भी व्यापक स्तर पर किया जाता है।

रेज्ड बेड प्लांटर

समस्या : रेज्ड बेड प्लांटर से कौन–कौन सी फसलें बोयी जा सकती हैं, क्या गेहूं की बुवाई कर सकते हैं।

समाधान : रेज्ड बेड प्लांटर उपयोगी है जहां पानी की बचत करनी हो तथा जल निकासी की समस्या से निदान पाना है। निराई गुड़ाई में मदद मिलती है, पानी तथा उर्वरक की बचत होती है, पैदावार भी ज्यादा होती है। दालें, सब्जियां,मक्का इत्यादि को बोया जा सकता है। हां, गेहूं की बुआई रेज्ड बेड प्लांटर से करने से पानी, खाद एवं मजदूरी की बचत होती है।

मधुमक्खी पालन

समस्या : मधुमक्खी पालन के लिए कौन–कौन से पेड़ पौधे लगायें।

समाधान : मधुमक्खियां अपने तथा बच्चों के भोजन के लिए फूलों से पराग तथा मकरंद (शहद) लाती है जहां पर ऐसे फूलों के पौधे अधिक होंगे वहीं पर मधुमक्खी पालन अधिक सफल हो सकता है। मधुमक्खी के कुछ मुख्य पौधे जैसे अमरुद, लीची, नींबू जाति, नाशपाती, सेब, इमली, जामुन, खजूर, केला, नारियल, सरसों, राई तारामीरा, तिल, अरहर, मक्का, ज्वार, बाजरा, गोभी, मूली, खीरा, ककड़ी, तोरई, धनिया, सौंफ, करंज, तुन, नीम, ताड़, यूकेलिप्टस, पापी स्वीट पी, कार्न फ्लावर, एन्टीगोनैन, डहेलिया, गुलाब, डहेलिया, लुकाट आदि। इसके अलावा हजारों जंगली जड़ी–बूटियां भी हैं जिससे मधुमक्खी पराग ग्रहण करती है।

ट्रैक्टर रिपेयरिंग

समस्या : ट्रैक्टर संचालन एवं रिपेयरिंग की ट्रेनिंग कहां मिलेगी।

समाधान : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से भी ट्रेनिंग मिल सकती है। भारत सरकार के ट्रेनिंग सेंटर बुधनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), अनन्तपुर (तेलंगाना), विश्वनाथ चेरियाल (आंध्र प्रदेश) एवं आसाम में उपलब्ध है इसके अतिरिक्त आप विभिन्न कृषि विद्यालयों से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

- केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, बुदनी, जिला–सीहोर फोन– 07564-234729
- हिसार– 01662-276824
- अनंतपुर– 9493736641
- विश्वनाथ चारि आली, जिला–शोणितपुर, फोन– 03715-222094

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान
कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

कृषक जगत
बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक — रु. 95 — कोड : 016
सब्जियों में पौध संरक्षण — रु. 75 — कोड : 017
मशरूम एक लाभ अनेक — रु. 45 — कोड : 019
मिर्च की उन्नत खेती — रु. 55 — कोड : 020
केला उत्पादन — रु. 70 — कोड : 025
गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण — रु. 75 — कोड : 027
पपीता — रु. 55 — कोड : 031
अदरक — रु. 55 — कोड : 032
फूलों की खेती — रु. 75 — कोड : 040
सजाएं फूलों से बगिया — रु. 65 — कोड : 041
घर की बगिया — रु. 95 — कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____
ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____
जिला _____ फोन/मोबा. _____
कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____
संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी आर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

जवारे से रोग का इलाज

प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल नियामतें दी हैं। गेहूं के जवारे उनमें से ही प्रकृति की एक अनमोल देन है। अनेक आहार शास्त्रियों ने इसे संजीवनी बूटी भी कहा है, क्योंकि ऐसा कोई रोग नहीं, जिसमें इसका सेवन लाभ नहीं देता हो। यदि किसी रोग से रोगी निराश है तो वह इसका सेवन कर श्रेष्ठ स्वास्थ्य पा सकता है। गेहूं के जवारों में अनेक अनमोल पोषक तत्व व रोग निवारक गुण पाए जाते हैं, जिससे इसे आहार नहीं वरन अमृत का दर्जा भी दिया जा सकता है। जवारों में सबसे प्रमुख तत्व क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रसिद्ध आहार शास्त्री डॉ. बशर के अनुसार क्लोरोफिल (गेहूं के जवारों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व) को केंद्रित सूर्य शक्ति कहा है। गेहूं के जवारे रक्त व रक्त संचार संबंधी रोगों, रक्त की कमी, उच्च रक्तचाप, सर्दी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्थायी सर्दी, साइनस, पाचन संबंधी रोग, पेट में छाले, कैंसर, आंतों की सूजन, दांत संबंधी समस्याओं, दांत का हिलना, मसूड़ों से खून आना, चर्म रोग, एक्जिमा, किडनी संबंधी रोग, सेक्स संबंधी रोग, शीघ्रपतन, कान के रोग, थायराइड ग्रंथि के रोग व अनेक ऐसे रोग जिनसे रोगी निराश हो गया, उनके लिए गेहूं के जवारे अनमोल औषधि हैं। इसलिए कोई भी रोग हो तो वर्तमान में चल रही चिकित्सा पद्धति के साथ–साथ इसका प्रयोग कर आशातीत लाभ प्राप्त किया जा

सकता है।

हरा रक्त : हिमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रमुख घटक है। हिमोग्लोबिन में हेमिन नामक तत्व पाया जाता है। रासायनिक रूप से हिमोग्लोबिन व हेमिन में काफी समानता है। हिमोग्लोबिन व हेमिन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या व उनकी आपस में संरचना भी करीब–करीब एक जैसी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमोग्लोबिन व क्लोरोफिल में काफी समानता है और इसीलिए गेहूं के जवारों को हरा रक्त भी कहते हैं।

प्राकृतिक रक्त निर्माण

गेहूं के जवारों में रोग निरोधक व रोग निवारक शक्ति पाई जाती है। कई आहार शास्त्री इसे रक्त बनाने वाला प्राकृतिक परमाणु कहते हैं। गेहूं के जवारों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए ये पाचन संस्थान व रक्त द्वारा आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं।

पुराने रोगों में कारगर : यदि कोई रोगी व्यक्ति वर्तमान में चल रही चिकित्सा के साथ–साथ गेहूं के जवारों का प्रयोग करता है तो उसे रोग से मुक्ति में मदद मिलती है और वह बरसों पुराने रोग से मुक्ति पा जाता है। यहां एक रोग से ही मुक्ति नहीं मिलती है वरन अनेक रोगों से भी मुक्ति मिलती है, साथ ही यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसकी जीवनशक्ति में अपार वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गेहूं के जवारे से रोगी तो स्वस्थ होता ही है किंतु सामान्य स्वास्थ्य वाला व्यक्ति भी अपार शक्ति पाता है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर में थकान तो आती ही नहीं है। यदि किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को गेहूं के जवारों का प्रयोग कराना है तो उसकी वर्तमान में चल रही चिकित्सा को बिना बंद किए भी गेहूं के जवारों का सेवन कराया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई चिकित्सा पद्धति गेहूं के जवारों के प्रयोग में आड़े नहीं आती है, क्योंकि गेहूं के जवारे औषधि ही नहीं वरन श्रेष्ठ आहार भी है।

फलों को किसी भी समय खाने से लाभ नहीं

क्या आप कभी–कभी नाश्ते के दौरान चीकू या नाशपाती का सेवन करते हैं, या फिर मन करने पर आधी रात को फ्रिज से सेब निकालकर उसे स्नैक्स की तरह खाने लगते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो विशेषज्ञों के अनुसार, आप फल सही खा रहे हैं, लेकिन उनके खाने का समय गलत है।

ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य के लिये लाभदायक फल कभी भी खाए जा सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह सच नहीं है। पोषक तत्वों से भरपूर फलों का सेवन करना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि फलों को सही समय पर खाया जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक, फलों का सेवन दोपहर या रात के खाने के साथ नहीं, बल्कि उनके बीच में करना चाहिए।

अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ स्टार्टअप प्योर न्यूट्रिशन के संस्थापक ल्यूक कॉटिन्हो के मुताबिक, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फल पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अगर आप कोई स्वास्थ्यकर चीज खाना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि उसको आपका शरीर पचा सके।

चाय और कॉफी मेंटैनिन और कैफीन जैसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो केले और चीकू में शामिल पोषक तत्वों का फायदा शरीर को पहुंचाने में बाधा पैदा करते हैं। खाली पेट फलों का सेवन सर्वोत्तम है। लंच या डिनर के बीच या फिर नाश्ते या लंच के बीच, या फिर व्यायाम के बाद अपने शरीर को पुनः ऊर्जा से भरने के लिये फलों का सेवन करना चाहिए।

विशेषज्ञों के मुताबिक, मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। फलों को बदल–बदल कर खाना चाहिए। इससे पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी।

आइए जानें कुछ खास वास्तु टिप्स

सुखमय जीवन के लिए – वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिस घर में वास्तु दोष होता है, वहां रहने वाले व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संकट आते हैं। यह सारी समस्याएं हमारे घर और जीवन पर काफी प्रभाव डालती हैं। इसीलिए घर में कुछ परिवर्तन कर हम इस नुकसान से बच सकते हैं।

कैसे बनाए रखें घर की सुख–समृद्धि – इसी प्रकार प्रवेश द्वार की ओर पैर करके सोना नहीं चाहिए, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। स्वर्गवासी वृद्धों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। पलंग कभी भी दीवार से मिलाकर न रखें। इससे पत्नी–पति में तकरार होती है। शौचालय की सीट उत्तर दक्षिण की तरफ होनी चाहिए।

बीमार व्यक्ति के लिए क्या करें – यदि आपके घर में कोई अधिक समय से बीमार है तो नैऋत्य कोण (दक्षिण–पश्चिम का कोना) में सुलाना चाहिए। इसके साथ ही ईशान कोण में शीतल जल रखने से व्यक्ति बहुत ही जल्दी स्वस्थ होता है। दवाई भी हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए।

दवा लेते समय मुख भी इसी कोण में रखना चाहिए। इससे दवा शीघ्र असर करती है। इससे रोगी जल्दी ही ठीक हो जाता है। बीमार व्यक्ति यदि एक ही कमरे मे काफी समय से है तो उसे दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दें।

सेहत का राज– बस, 4 ग्लास पानी एक साथ

सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, खून की कमी, मोटापा, बेहोशी, दमा, खांसी, लीवर की कमजोरी, पेशाब की बीमारी, गैस, कब्ज, एसीडिटी, कमजोरी, आंख की बीमारी, मानसिक रोग, महिलाओं को होने वाली बीमारियां एवं शरीर में उत्पन्न होने वाली कई नई–पुरानी व्याधियों को दूर करने के लिए यह सादी–सरल विधि है। भारत जैसे गरीब देश के लिए तो यह विधि बिना पैसा खर्च की चमत्कारी पद्धति सिद्ध हो सकती है। कमी है तो बस इसके जनसाधारण के बीच प्रसार की।

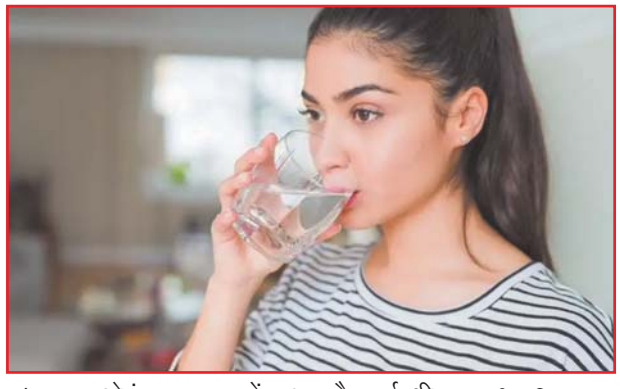

पानी प्रयोग की विधि क्या –

सुबह उठकर बिस्तर में बैठ जाएं और चार बड़े ग्लास भरकर (लगभग एक लीटर) पानी एक ही समय एक साथ पी जाएं। ध्यान रहे कि पानी पीने के पहले मुंह न धोएं, न ब्रश करें तथा शौचकर्म भी न करें। पानी पीने के बाद थूकें नहीं। पानी पीने के पौन घंटे बाद आप ब्रश/ दातून, मुंह धोना, शौचकर्म इत्यादि नित्यकर्म कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार या कमजोर काया के हैं और वे एक साथ चार ग्लास पानी नहीं पी सकते तो उन्हें शुरूआत एक–दो ग्लास पानी से करना चाहिए तथा धीरे–धीरे चार ग्लास तक बढ़ाना चाहिए।

साथ ही भोजन करने के बाद लगभग दो घंटे पानी न पिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। चार ग्लास पानी पीने की यह विधि स्वस्थ या बीमार, सभी के लिए अति लाभदायक सिद्ध हुई है। पानी पीने से कई बीमारियां इस प्रयोग से निम्नलिखित समय में दूर होती जाती हैं।

* मधुमेह एक माह के लगभग।
* उच्च रक्तचाप एक माह के लगभग।
* गैस दो सप्ताह के लगभग।
* टी.बी. छः माह के लगभग।
* कब्जीयत– दो सप्ताह के लगभग।

पाक्षिक पंचांग

10 से 23 नवम्बर 2025
विक्रम संवत् 2082
आगहन कृष्ण 5/6 से अगहन शुक्ल 3 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
10	नवम्बर	सोम	अगहन कृष्ण	5/6
11	नवम्बर	मंगल	----------	7
12	नवम्बर	बुध	----------	8 काल भैरवाष्टमी
13	नवम्बर	गुरु	----------	9
14	नवम्बर	शुक्र	----------	10
15	नवम्बर	शनि	----------	11 उत्पन्ना एकादशी
16	नवम्बर	रवि	----------	12
17	नवम्बर	सोम	----------	13 प्रदोष व्रत
18	नवम्बर	मंगल	----------	13 शिव चतुर्दशी व्रत
19	नवम्बर	बुध	----------	14
20	नवम्बर	गुरु	----------	30 स्ना.दा. अमावस
21	नवम्बर	शुक्र	अगहन शुक्ल	1
22	नवम्बर	शनि	----------	2
23	नवम्बर	रवि	----------	3

भारतीय अर्थव्यवस्था में

महिलाओं की भागीदारी

● डॉ. अदिति गुप्ता, विषय वस्तु विशेषज्ञ (खाद्य एवं पोषण) कृषि विज्ञान केंद्र, चाँदगोठी (चुरू)

महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक प्रतिबद्धता 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने के लिए गरीबी, असमानता और अन्याय से निपटने पर केंद्रित है और इसने महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। समावेशी और सतत विकास के केंद्र में महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने की तत्काल आवश्यकता है और उसी के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी विकास का उत्प्रेक है और उनकी भागीदारी दर किसी देश के और अधिक तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता को इंगित करती है। महिला श्रमबल भागीदारी और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच अंतर्संबंध वर्णित किए की तुलना में परोक्ष रूप से कहीं बहुत अधिक सानुपातिक हैं। यह सुझाया गया है कि यदि भारत महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार करके लैंगिक समानता अंतर को पाट पाता है तो वह अपने सकल घरेलू उत्पाद में 18 प्रतिशत (लगभग 770 बिलियन अमरीकी डालर) जोड़ सकता है। 1990 के बाद से प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल महिला श्रमबल की भागीदारी का रुझान दिखाता है। इससे स्पष्टत समझा जा सकता है कि यह भागीदारी 2005 में 31.79 प्रतिशत से लगातार गिरकर 2019 में 20.79 प्रतिशत हो गई है जबकि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी दर का वैश्विक औसत 2018 में 48.5 प्रतिशत था। 1990 से 2005 के बीच एक स्थिर दर का कारण यह है कि जो महिलाएं गरीबी के कारण बेहद कम वेतन वाली निम्न दर्जे की नौकरियां करने पर मजबूर थीं, वे नौकरियों को छोड़ चुकी हैं क्योंकि पुरुष श्रमबल की भागीदार के कारण संभवतः उनकी कुल घरेलू आय में वृद्धि हो गई होगी।

लंबी अवधि के रुझानों ने सुझाया है कि भारत में महिला श्रमबल की भागीदारी दर हैरान करने वाली रही है। महिला भागीदारी दर 1999-2000 में 34.1 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 27.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच काफी भिन्नताएं आई हैं। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 2009-10 में 26.5 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 25.3 प्रतिशत हो गई जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गई। भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण को अभी और अधिक महिलाओं को श्रमबल शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना बाकी है। ग्रामीण रोजगार कम हो रहे हैं और ग्रामीण महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम करने लग गई हैं। श्रमबल भागीदारी दर में 131 देशों में 120वें स्थान पर है और लिंग-आधारित हिंसा की दर असंतोषजनक रूप से बनी हुई है। महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी में गिरावट का एक प्रमुख कारण उनका सामाजिक दायित्व है। 2014 के ओडब्ल्यूआईडी (आवर वर्ल्ड इन डाटा) के आंकड़ों के अनुसार भारत का अवैतनिक देखभाल के कार्य में लगाए गए समय का महिला-पुरुष अनुपात 9.83 है जो दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। इन आंकड़ों की तर्ज पर 2017-18 में 15-59 आयु वर्ग की 62.1 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न थीं। स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओएसटीएटी

आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की दर तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका को मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। भारत की जनसंख्या 133 करोड़ से अधिक है और इस जनसंख्या का 62 प्रतिशत से अधिक भाग 15-59 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में आता है। भारत के इस जनसांख्यिकीय लाभांश में 15-64 वर्ष के आयु वर्ग में 43 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं । इसके बावजूद कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का लाभ भारत की विकास गाथा में शामिल नहीं है। वर्ष 2019 के अनुमानों के अनुसार वर्तमान में भारत श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करने में काफी निचले पायदान पर है कार्यबल में दस करोड़ पांच लाख आठ हजार छह सौ महिलाओं की कुल संख्या को देखा जाए तो 43 करोड़ कामकाजी उम्र की आबादी में लगभग 32.9 करोड़ महिलाएं कार्यबल में शामिल नहीं हैं।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीईपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया है। कई राज्य सरकारें, सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) संस्थाएं और नागरिक समाज संगठन भी अपनी पहल कर रहे हैं। फिर भी इस परितंत्र में महिला उद्यमियों की भागीदारी न्यूनतम बनी हुई है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में संचालित 58.2 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में से केवल 44 प्रतिशत या 8.05 मिलियन महिलाओं के स्वामित्व में हैं। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैंय 2018 में मास्टर कार्ड इंडेक्स द्वारा अपने स्थानीय परिवेश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को भुनाने की महिला उद्यमियों की क्षमता के मामले में भारत 57 देशों में से 52 वें स्थान पर था।

आकांक्षी महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां

आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका अपरिहार्य है। आजकल महिलाएं चुनिंदा व्यवसायों के अलावा व्यापार, उद्योग और इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों में भी कदम रख रही हैं। महिलाएं भी व्यवसाय करने और देश के विकास में योगदान देने की इच्छुक हैं।

ऋण तक पहुंच

इसके अतिरिक्त उद्यम संबंधी उपक्रमों से जुड़े जोखिम आकांक्षी महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर ऋण मांगते समय पूर्वाग्रहग्रस्त धारणाओं से निपटना पड़ता है। एक वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता होती है और संपत्ति के स्वामित्व में लैंगिक अंतर और पर्याप्त बचत की कमी अक्सर महिलाओं को ऋण प्राप्त करने के लिए अयोग्य बना देती है।

घरेलू जिम्मेदारियां

अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाएं, अभी भी पूर्व-निर्धारित लिंग भूमिकाओं के ढांचे के भीतर काम कर रही हैं जिसके अनुसार उनकी एकमात्र जिम्मेदारी घरेलू कामकाज और अश्रितों की देखभाल है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट के अनुसार औसत भारतीय महिला प्रतिदिन लगभग छह घंटे अवैतनिक काम करती है जबकि पुरुष एक घंटे से कम (52 मिनट) काम करता है।

लैंगिक पूर्वाग्रह

महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए निवेश के क्षेत्र में लैंगिक पूर्वाग्रहों की छिपी प्रवृत्ति सबसे गंभीर है। महिला उद्यमी अक्सर निवेशकों से संपर्क करने से हिचकिचाती हैं । जब कभी महिलाएं निवेश के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं तो समान विषय होने के बावजूद निवेशकों को महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता देते पाया गया है।

सूचना विषमता

एक अन्य प्रमुख चुनौती सूचना विषमता है जो महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और सहायता तक पहुंच की कमी को बढ़ाती है। व्यापार जगत के लिए सीमित अनुभव उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा वाली महिलाओं को कमजोर बनाता है और इस क्षेत्र में सफल होने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है।

रोल मॉडल की कमी

साथ ही रोल मॉडल की कमी भी है जो आकांक्षी महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास को सीमित करती है और उन्हें सफलता उनकी पहुंच से बाहर लगती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सफल रोल मॉडल की मौजूदगी रूढ़िबद्ध धारणाओं का सामना करने और परिवर्तन लाने का कारण बनती है। इस कमी को भारतीय परितंत्र में युवा महिलाओं के बीच 'उद्यमी' भावना बाधित विकास के रूप में महसूस किया जा सकता है। इनमें कुछ में महिला उद्यमिता को समर्पित स्टार्टअप इंडिया वर्टिकल राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की कौशल प्रदान करने की पहल 'महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण' और महिलाओं के स्वामी वाले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) से 3 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद का विशेष प्रावधान शामिल है। हालांकि इन प्रयासों के अलग-अलग कार्यान्वयन और सीमित अंतर-विभागी संपर्क के परिणामस्वरूप कई संभावित लाभार्थी इन पहलों अनजान बने हुए हैं।

भारत में महिला उद्यमी को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका

आजादी के बाद से ही महिला का विकास हमारा एक प्रमुख उद्देश्य बन गया था। सरकार द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु क्षेत्र सहित लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी। यदि हम बात करे सरकार द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजनाओं की तो जहाँ प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महिला विकास हेतु कई उपाय की कल्पना मात्र की गई थी, उन्हें आगामी योजनाओं में साकार किया गया, जैसे तीसरी योजना में शिक्षा पर बल, पांचवी में महिला प्रशिक्षण पर बल एवं सांतवी योजना में लैंगिक समानता पर बल। आठवीं योजना में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। नवीं योजना में महिला घटक नीती बनाई गई, जिसमें महिला को विकसित करने हेतु महिला संबंधित क्षेत्रों को 30 प्रतिशत का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार योजना दर योजना महिला विकास हेतु अनेक नीतियां बनती एवं संचालित होती रही। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

● खादी और ग्रामोद्योग आयोग ● महात्मा गाँधी, ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान ● राजीव गाँधी, महिला विकास परियोजना ● एसबीआई की स्त्री शक्ति योजना ● महिला विकास निगम ● महिला विकास कार्यक्रम ● महिला समिति योजना ● इंद्रा महिला योजना ● इंदिरा महिला केंद्र ● 10-राष्ट्रीय महिला कोष

गाय के गोबर को आजीविका से जोड़ें : श्री कुमावत

जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने अपने बाड़मेर प्रवास के दौरान आदर्श डूंडा में बाबा रामदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं जीवित भंडारा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने श्री श्री 1008 खुशाल गिरी जी महाराज व अन्य संतों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्री

जोराराम कुमावत ने कहा कि खेती के लिए गाय का गोबर अच्छा होता है। गोबर और गोमूत्र जैविक खाद मिट्टी के पोषण के लिए कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि गाय को रोजगार से भी जोड़ना चाहिए। गोबर प्लांट लगाकर उसकी गैस का घरों में प्रयोग किया जाए। हमने यदि गाय के गोबर को आजीविका से जोड़ दिया तो नए समृद्ध भारत का निर्माण होगा। श्री कुमावत ने कहा कि निराश्रित गाय को गोशाला में रखकर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देकर उसका पालन पोषण किया जा रहा है।

कोर्टेवा का डेलिगेट कीटनाशक किसानों को करेगा मजबूत

CORTEVA agriscience

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कोर्टेवा एग्रीसाइंस का डेलिगेट® कीटनाशक आज देशभर के मक्का, कपास और मिर्च उत्पादक किसानों के लिए फसल सुरक्षा का एक भरोसेमंद समाधान बन गया है। यह उत्पाद एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management – IPM) प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसानों को फसल की सुरक्षा के साथ-साथ अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक मुनाफा हासिल करने में मदद करता है।

डेलिगेट® अपनी प्रमाणित प्रभावशीलता और कीट प्रतिरोध प्रबंधन (Insect Resistance Management – IRM) में योगदान के कारण किसानों के बीच लोकप्रिय है। यह न केवल कीट नियंत्रण में असरदार है, बल्कि टिकाऊ और किफायती भी है, जिससे किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलता है।

फॉल आर्मीवॉर्म और थ्रिप्स पर प्रभावी नियंत्रण

पिछले कई वर्षों से डेलिगेट किसानों के लिए एक विश्वसनीय साथी साबित हुआ है। यह मक्का में फॉल आर्मीवॉर्म और कपास व मिर्च में थ्रिप्स जैसे हानिकारक कीटों पर तेज़ और प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। पारंपरिक कीटनाशक तरीकों से आगे बढ़ते हुए, यह उत्पाद किसानों को वैज्ञानिक और सटीक फसल सुरक्षा अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे फसल और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहते हैं।

डेलिगेट का असर लंबे समय तक रहता है, जिससे बार-बार छिड़काव की आवश्यकता कम होती है। यह किसानों का समय, मेहनत और लागत- तीनों बचाता है। फसल के महत्वपूर्ण चरणों पर सही समय पर छिड़काव करने से अधिकतम लाभ मिलता है। मक्का में शुरुआती वृद्धि के समय इसका छिड़काव फॉल आर्मीवॉर्म से सुरक्षा देता है और बालियों की गुणवत्ता सुधारता है।

कपास में फूल आने और बॉल बनने के समय पर छिड़काव से थ्रिप्स और अन्य

क्लाइमेट एक्शन में किसानों की भूमिका को लेकर

यूपीएल का वैश्विक अभियान '#AFarmerCan' लॉन्च

UPL

नई दिल्ली। सतत कृषि समाधान में वैश्विक अग्रणी कंपनी यूपीएल लि. ने नया वैश्विक अभियान '#AFarmerCan – The hero you dont' know you need' लॉन्च किया है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) से पहले शुरू की गई है, जो 10 से 21 नवम्बर 2025 तक बेलेम (ब्राज़ील) में आयोजित होगा। यह अभियान किसानों को जलवायु नायक के रूप में सम्मानित करता है और विश्व नेताओं से आग्रह करता है कि वे जलवायु रणनीतियों के केंद्र में किसानों को स्थान दें। यूपीएल ने अपने संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए 360° एकीकृत अभियान शुरू किया है, जिसमें ब्राज़ील सहित प्रमुख बाज़ारों में आउटडोर ब्रांडिंग और डिजिटल जुड़ाव का संयोजन किया गया द्य

यूपीएल, जो 140 से अधिक देशों में कार्यरत है, छोटे किसानों से लेकर बड़े व्यावसायिक उत्पादकों तक के साथ मिलकर सतत कृषि और जलवायु अनुकूल समाधान प्रदान करती है। इसी अनुभव के आधार पर कंपनी ने दुनिया भर से 20 प्रेरणादायक किसान कहानियाँ चुनी हैं, जो दिखाती हैं कि कृषि किस तरह ग्रीनहाउस गैस (GHG) में कमी, ऊर्जा सुरक्षा, जल संरक्षण, मृदा पुनर्जीवन और जैव विविधता संरक्षण में योगदान दे सकती है- यही पाँच स्तंभ COP30 में यूपीएल की भागीदारी का मार्गदर्शन करेंगे। अभियान का मुख्य संदेश है- 'नीतियाँ किसानों के साथ खड़ी हों, उपभोक्ता उनके नवाचार और धैर्य का सम्मान करें।'

'भविष्य खेतों से शुरू होता है'- जय श्रॉफ, चेयरमैन एवं ग्रुप सीईओ, यूपीएल

यूपीएल के चेयरमैन एवं ग्रुप सीईओ श्री जय श्रॉफ ने कहा, '#AFarmerCan अभियान के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जलवायु लचीलापन का भविष्य खेतों में शुरू होता है। किसान पहले से ही नवाचार कर रहे हैं, अनुकूलन अपना रहे हैं और धरती का पुनर्जीवन कर रहे हैं। फिर भी, वैश्विक जलवायु विमर्श में उनकी भूमिका पर्याप्त रूप से नहीं पहचानी गई है। अब समय है कि नीतिनिर्माता, संस्थान और उपभोक्ता किसान के साथ खड़े हों और उन्हें जलवायु परिवर्तन के समाधान का केंद्र बनाएं।'

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
(सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagat
@krishakjagatindia @krishak_jagat

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
➪ वार्षिक रु. 600/- ➪ दो वर्ष रु. 1000/-
➪ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ◻ भोपाल ◻ जयपुर ◻ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

कृषक जगत If undelivered please return to Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239 मेलिंग इंचार्ज, भोपाल
जयपुर, 10 नवम्बर 2025, डाक प्रेषण का दिन - मंगलवार, बुधवार Post Bag No. 37,BHOPAL-462011

फसल बीमा योजना

किसानों का सुरक्षा चक्र या कंपनियों के लिए लाभ कवच ?

● विनोद के. शाह, मो. : 9425640778
Shahvinod69@gmail.com

अतिवृष्टि और फसल विनाश की त्रासदी

इस खरीफ सीजन में पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के अनेक जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। ऐसे समय में फसल बीमा किसानों के लिए आशा की किरण बनना चाहिए था, किंतु यह राहत के बजाय असंतोष का कारण बन रहा है। सरकारें अरबों रुपये का प्रीमियम बीमा कंपनियों को देती हैं, परंतु अंततः राहत राशि उन्हें स्वयं किसानों को बाँटनी पड़ती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: उद्देश्य और निवेश

वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में हर वर्ष किसान हितग्राहियों की संख्या बढ़ी है। इसका एक कारण यह है कि बैंक ऋण लेने पर बीमा अनिवार्य है, और दूसरा — सरकारी प्रचार कि मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम पर किसानों को संपूर्ण फसल सुरक्षा मिलेगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में देशभर के लगभग 9.41 करोड़ किसान (4.19 करोड़ ऋणी और 5.22 करोड़ गैर-ऋणी) इस योजना से जुड़े हैं। किसान केवल 2% तक प्रीमियम देता है, जबकि शेष 98% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से वहन करती हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने रू. 14,600 करोड़ और राज्यों ने लगभग इतनी ही राशि बीमा कंपनियों को दी है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इतने भारी सरकारी निवेश के बावजूद प्रभावित किसानों को उनकी फसलों के वास्तविक नुकसान का दस प्रतिशत से भी कम मुआवजा मिला है।

आकलन की खामियाँ और उपग्रह प्रणाली की सीमाएँ

पूर्व में फसल नुकसान का मूल्यांकन 'फसल कटाई प्रयोग' (Crop Cutting E&periment) के माध्यम से किया जाता था, जिसमें तीन वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर क्षतिपूर्ति तय होती थी। लेकिन इस पद्धति में राजस्व अमले और बीमा कंपनियों की मिलीभगत से आंकड़े अक्सर किसानों के प्रतिकूल जाते थे।

इसी खामी को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय ने उपग्रह आधारित फसल आकलन प्रणाली लागू की है। इसके तहत प्रत्येक खेत की उपग्रह छवियों से फसल की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रणाली के आधार पर अगस्त 2025 में 30 लाख किसानों को रू. 3,200 करोड़ का भुगतान किया गया- जिसमें राजस्थान के किसानों को रू. 1,120 करोड़, मध्यप्रदेश को रू. 1,156 करोड़, छत्तीसगढ़ को रू. 150 करोड़ और अन्य राज्यों को रू. 778 करोड़ मिले।

परंतु यह राहत किसानों के लिए 'मरहम' से अधिक 'नमक' साबित हुई। अनेक पीड़ित किसानों को मात्र रू. 100 से रू. 2,000 तक की राशि ही मिली। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के कुंवरहटा गांव में सभी किसानों के खातों में कुल रू. 17 का भुगतान हुआ, जबकि महाराष्ट्र के शिलोत्तर गांव के एक किसान को 11 एकड़ धान फसल के नुकसान पर मात्र रू. 2.30 मिले।

> **फसल बीमा योजना का मूल उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की संपूर्ण भरपाई देना है। किंतु जमीनी हकीकत इस उद्देश्य से काफी भिन्न दिखाई देती है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान राहत की उम्मीद में भटकता है, राज्य सरकारें केंद्र से सहायता पैकेज की मांग करती हैं, जबकि बीमा कंपनियां निश्चिंत रहती हैं- यह तर्क देकर कि 'बीमा की शर्तों' के अनुसार प्रारंभिक या आंशिक नुकसान पर भुगतान नहीं बनता।**

यह विडंबना इसलिए भी गहरी है क्योंकि उपग्रह तस्वीरों में खेतों की हरियाली दिखती है, लेकिन अंतिम उत्पादन — 'भूसा अधिक, दाना कम' — का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता। यह बांझपन या फसल का आंतरिक नुकसान ही वह पहलू है, जिसे उपग्रह तकनीक पहचान नहीं सकती।

बीमा शर्तों में राहत का अभाव

बीमा कंपनियाँ केवल अंतिम उत्पादन में गिरावट को आधार बनाकर सामूहिक नुकसान का भुगतान करती हैं, जबकि हाल की अतिवृष्टि से नुकसान फसल की प्रारंभिक अवस्था में हुआ है। इस कारण कंपनियाँ भुगतान से बच रही हैं। कई राज्य सरकारें, जैसे पंजाब और महाराष्ट्र, अपने स्तर पर राहत दे रही हैं या केंद्र से सहायता पैकेज मांग रही हैं। पंजाब ने 23.81 लाख किसानों को रू. 1,623.51 करोड़ और महाराष्ट्र ने 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान मानते हुए रू. 1,356.30 करोड़ की राहत राशि दी है।

यह स्थिति एक गम्भीर प्रश्न उठाती है — जब सरकारें अरबों रुपये का प्रीमियम पहले ही बीमा कंपनियों को दे चुकी हैं, तब उन्हें अलग से राहत पैकेज देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या यह योजना किसानों की नहीं, बल्कि बीमा कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है?

अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना की समीक्षा और पुनर्रचना करें - ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वास्तव में किसानों की ढाल बने, न कि बीमा कंपनियों का लाभ कवच।

कृषि बीमा की दिशा में आवश्यक सुधार

यदि फसल बीमा योजना को वास्तव में किसान हितैषी बनाना है, तो निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं-

व्यक्तिगत खेत स्तर पर आकलन: नुकसान का निर्धारण केवल उपग्रह से नहीं, बल्कि भौतिक सत्यापन और उपज परीक्षण के माध्यम से हो।

बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय हो: अनुचित या विलंबित भुगतान पर आर्थिक दंड का प्रावधान हो।

पारदर्शिता के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल: प्रत्येक किसान अपने नुकसान और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सके।

न्यूनतम मुआवजा गारंटी: प्रीमियम के अनुपात में न्यूनतम मुआवजा राशि की कानूनी गारंटी हो।

आपदा कवरेज का विस्तार: प्राकृतिक आपदा या प्रारंभिक फसल क्षति को भी बीमा कवरेज में शामिल किया जाए।

फसल बीमा का उद्देश्य किसानों को संकट से उबारना है, न कि उन्हें बीमा कंपनियों की जटिल शर्तों में उलझाना। जब करोड़ों रुपये का प्रीमियम चुकाने के बाद भी किसान को न राहत मिलती है, न भरोसा, तब यह केवल एक 'नीति' नहीं, बल्कि 'सुधार की आवश्यकता' बन जाती है।

सर्वोत्तम गुणवत्तावाली
जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला -
सभी फसलों # के लिए हर किसान के बजट के
अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिचाई व्यवस्था
के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।
(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानें आदि के लिए)

जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेव्हर
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो एक्सेल प्लस
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो लाईन सुपर
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी साईज

जैन टर्बो लाईन - पीसी
क्लास २
साईज - १६, २० मिमी

जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी
१३, १५ मील (०.33, ०.38 मिमी) - क्लास 1 व 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स
साईज - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी

नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटींग में उपलब्ध

जैन ड्रिप® प्रति बूंद, फसल भरपूर!®
जैन इरिगेशन सिस्टम्स् लि. छोटे छोटे कदम, आसमान छूने का दम!®
दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाईट: www.jains.com

ड्रिपलाईन व फिटींग्ज | ड्रिपर्स | रेनपोर्ट स्प्रिंकलर | स्प्रे हेड व जेटस् | वॉल्व | फिल्टर्स | फिल्ट्रेशन संसाधन | फर्टिगेशन संसाधन | पीव्हीसी पाईप व फिटींग्ज | एचडीपीई पाईप्स व फिटींग्ज | क्विक कनेक्ट पाइप | ऑटोमेशन व कन्ट्रोलर्स

सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं
नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!